ग्राम पंचायत लोहारा अप्पर, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

1 प्रस्तावनाः—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लोहारा अप्पर, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

1	श्री दर्शन	1.4.14 से 2.1.16
2	श्री सुरेन्द्र पाल	23.1.16 से लगातार

सचिवः—

1	श्री कुलदीप सिंह	1.4.14 से 9.11.15
2	श्रीमती मुजू वाला	9.11.15 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत लोहारा अप्पर के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	**पैरा सं0**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	6 (क)	लंगरों से प्राप्त धरोहर राशि को नियमाविरूद्ध हस्तगत रखना व वापिसी नकद भुगतान करना	3.74
2	7	अत्याधिक मात्रा में राशि का हस्तगत रखना	—
3	8	अनुदान राशि का रोकड़ बही में दर्ज न करना	0.89
4	12	अनुदान का उपयोग न करना	49.22

5	13	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	1.37
6	18	विवादित स्थल होने के कारण अनुदान का उपयोग न करना	6.00
7	19	मूल्यांकन (Assessment) के बिना भुगतान करना	3.68

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत लोहरा अप्पर, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीखक द्वारा दिनांक 5.12.2017 से 14.12.2017 तक ग्राम पंचायत लोहारा अप्पर में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014—15	7/2014	7/2014
2015—16	8/2015	10/2015
2016—17	8/2016	3/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत लोहरा अप्पर, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 317/2017 दिनांक 14.12.2017 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

ग्राम पंचायत लोहरा अप्पर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः—

(1) स्वःस्त्रोतः— ग्राम पंचायत लोहारा अप्पर के अवधि 1.4.14 से 31.3.2017 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः—

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014—15	605502.2	435706	1041208.2	368956	672252.2
2015—16	672252.2	424055	1096307.2	164500	931807.2
2016—17	931807.2	663001	1594808.2	270287	1324521.2

(2) अनुदानः— ग्राम पंचायत, लोहारा अप्पर के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया हैः—

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014—15	3191424.00	3164952	6356376	3536182.40	2820193.60
2015—16	2820193.60	2223757	5043950.6	1364477.98	3679472.62
2016—17	3679472.62	6102882	9782354.62	4860272.93	4922081.69

5 रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31.3.17 के अन्तशेष में ₹0.38 लाख का अन्तरः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत लोहारा अप्पर द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म कराधान व भतो) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2017 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में ₹37908.10 का अन्तर था। अतः पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों से

मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान किया जाए।

1	रोकड़ बही खाता क पैरा 4 (1) का अन्तशेष	1324521.20
2	रोकड़ बही खाता ख पैरा 4 (2) का अन्तशेष	4922081.69
	योग	**₹6246602.89**

दिनांक 31.3.2017 को बैंक खातों व हस्तगत शेष का विवरण निम्नानुसार था।

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**खाता सं0**	**राशि**
1	KCBB Bharwain	20017044962	1163530
2	KCBB Bharwain	20017034432	4176496
3	KCBB Bharwain	20154002810	64863
4	KCBB Bharwain	50056410668	113473
5	PNB Bharwain	11340001004690	765948.99
		Total	**6284310.99**
		Cash in hand	**200.00**
		G.Total	**6284510.99**

अन्तर=₹6284510.99–₹6246602.89=₹37908.10

6 (क) लंगरों से प्राप्त धरोहर ₹3.74 लाख को बैंक में जमा करवाए बिना तथा बिना बिल वाउचर तैयार किए नकद भुगतानः–

ग्राम पंचायत लोहारा अप्पर चिन्तपूर्णी के साथ लगती पंचायत होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा श्रावण अष्टमी नवरात्र मेलों के दौरान पंचायत क्षेत्र में लंगर लगावने वाली लंगर कमेटियों से शुल्क के अतिरिक्त निम्नविवरणानुसार धरोहर राशि भी प्राप्त की गई तथा इनकी रसीदें भी जारी की गई। ग्राम पंचायत द्वारा यह धरोहर राशि इस आशय के साथ ली जाती है कि लंगर लगाने वाले स्थानों की सफाई का प्रबन्ध भी लंगर कमेटियों द्वारा किया जाएगा तथा मेलों की समाप्ति के उपरान्त सफाई उचित पाई जाने पर धरोहर राशि लंगर कमेटियों को वापिस की जाएगी अन्यथा यदि सफाई उचित नहीं पाई जाती है तो इसे जब्त माना जाएगा। धरोहर राशि की प्राप्ति को रोकड़ बही में तो दर्ज किया गया परन्तु इसे बैंक में जमा नहीं किया गया अर्थात यह राशि हस्तगत रखी गई। नवरात्र मेले की समाप्ति के उपरान्त रोकड़ बही में धरोहर राशि को नकद भुगतान दर्शाया गया परन्तु धरोहर राशि को

लौटाने से सम्बन्धित भुगतान वाउचर तथा प्राप्तकर्ता की रसीद अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे जोकि नियमानुसार अनुचित है। अतः धरोहर राशि को नियमों के प्रतिकूल हस्तगत रखने तथा बिना बिल/वाउचर तैयार किए धरोहर राशि का नकद भुगतान करने बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त विभागीय स्तर पर उपरोक्त धरोहर राशि के नकद भुगतान की भी जाँच करवाई जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि धरोहर राशि का सही भुगतान किया गया है या नही?

मास	**धरोहर राशि**
7/2014 & 8/2014	126000
8/2015	108000
8/2016	140000
योग	₹374000

(ख) दिनांक 27.7.2014 से 3.8.2014 तक श्रावण अष्टमी मेले के दौरान लंगर फीस तथा धरोहर ₹360500 प्राप्त हुई तथा यह राशि हस्तगत रखी गई। इस राशि में से केवल ₹170000 ही बैंक में जमा करवाने तथा शेष राशि में से दिनांक 6.8.2014 को ₹126000 धरोहर राशि का वापिस नगद भुगतान किया। इसके उपरान्त ₹64500 का निम्नानुसार नगद भुगतान किया गया जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17 (2) के अनुसार अनुचित है। क्योंकि एक हजार से अधिक का भुगतान चेक द्वारा किया जाना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्राप्त आय को पहले बैंक में जमा करवाया जाए उसके उपरान्त ही नियमानुसार खर्चों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वा0सं0	**मास/दिनांक**	**विवरण**	**नगद भुगतान (राशि)**
38	7.8.14	अदायगी गुरपाल सिंह	22000
39	7.8.14	M/S Kisan Seva Kendra	18000
40	7.8.14	मजदूरी	18700
41	7.8.14	मजदूरी	3400
		योग	**₹62100**

7 अत्याधिक मात्रा में राशि का हस्तगत रखनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) की अवहेलना करते हुए सचिव, ग्राम पंचायत लोहारा अप्पर द्वारा निम्नानुसार अत्याधिक मात्रा में राशि हस्तगत रखी गई, जिसके बारे में नियमानुसार अवगत करवाते हुए इस प्रवृति पर पूर्णतयः अंकुश लगाया जाए।

दिनांक	राशि
27.7.14	820000
28.7.14	110000
29.7.14	135000
30.7.14	167000
31.7.14	236000
1.8.14	313000
18.8.15	137282
19.8.15	72182
20.8.15	92182
21.8.15	145182
25.8.15	37182
27.8.15	10382
31.8.15	10382
1.8.16	72000
3.8.16	209200
8.8.16	112300
16.10.16 से 19.10.16	2107
21.10.16 से 6.12.16	14232
22.12.16 से 5.1.17	14357
7.1.17 से 13.1.17	15707
16.1.17 से 20.1.17	14717
21.1.17 से 21.3.17	15467

8 अनुदान ₹0.89 लाख रोकड़ बही में दर्ज न करनाः–

विभिन्न बैंकों के खातों की जाँच में पाया गया कि निम्नानुसार बैंक खातों में प्राप्त अनुदान राशि ₹89479 को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है, जिसे अब अतिशीघ्र दर्ज किया जाए।

खाता सं0	दिनांक	प्राप्त अनुदान राशि
20017034432	5.12.15	5550
20017034432	5.12.15	5550
20017034432	5.12.15	20100
20017044962	29.2.16	17629
20017034432	30.7.16	37569
20154002810	31.8.16	3081
	योग	**₹89479**

9 सचिव तथा प्रधान द्वारा अपने नाम से चैक द्वारा राशि आहरित करके नियमविरूद्ध नकद भुगतान करनाः–

सामान्य रोकड़ बही तथा बैंक पास बुकों की जाँच करने पर पाया गया कि अधिकतर मामलों में सचिव तथा प्रधान द्वारा लाखों रूपये की राशि अपने नाम से चैक द्वारा आहरित करके विभिन्न फर्मों तथा मजदूरों को भुगतान की है, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17 (2) के अनुसार अनुचित है। अतः सचिव तथा प्रधान के नाम से चैक द्वारा राशि आहरित करने के मामलों बारे नियमानुसार अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकार के आहरण पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाए क्योंकि इस प्रकार के आहरण से राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

10 बजट प्राक्कलन निर्धारित फार्म में तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया

था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

11 गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। सचिव ने अपने पत्र संख्या 1 दिनांक 14.12.2017 द्वारा सूचित किया है कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया, जिसकी अनुपस्थिति में गृहकर की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

12 अनुदान ₹49.22 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट—1) के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹4922081.69 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

13 प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹1.37 लाख का अधिक व्ययः—

सचिव ग्राम पंचायत लोहारा अप्पर द्वारा उपलब्ध करवाये गये आंकड़ों तथा वित्तीय स्थिति के अनुसार RAY/IAY, RELIEF में दिनांक 31.3.2017 को ₹136842 की राशि ऋणात्मक दर्शाई गई है, जोकि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन RAY/AAY, RELEIF में अथवा किसी अन्य योजना से RAY/AAY, RELIEF का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अवगत करवाएं।

RAY/IAY	(–) 86919
RELIEF	(–)49923
कुल	**(–) 136842**

14 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवानाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये है। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जोकि अनुचित है। क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

15 IWMP लाभार्थियों से लाभार्थी अंश की वसूली न करने बारेः–

परियोजना निदेशक जिला जलागम विकास अभिकरण काँगड़ा स्थित धर्मशाला के पत्र क्रमांक 336–393 दिनांक 4.7.2012 के अनुसार "वाटरशेड परियोजना के लिए गाँवों का चयन हेतु अनिवार्य शर्त वाटरशेड विकास निधि में लोगों द्वारा अंशदान किया जाना है। वाटरशेड विकास निधि में अंशदान केवल निजी भूमि पर निष्पादित एम0आर0एम0 कार्यों की लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत होगा तथापि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमान्त किसानों के मामले में न्यूनतम अंशदान 5 प्रतिशत की गई। इसके अतिरिक्त निजी भूमि पर अन्य लागत सघन कृषि प्रणाली कार्यकलापों जैसे मत्स्य पालन, बागवानी, कृषि, वानिकी, पशु पालन इत्यादि जैसे आजीविका सम्बन्धित किसानों को सीधे फायदा होता तो उनके लिए सामान्य वर्ग के किसानों का अंशदान 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का अंशदान 10 प्रतिशत होगा। जाँच में पाया गया कि निष्पादित करवाए गये वाटरशेड कार्यों के लिए जोकि पूर्ण हो चुके हैं। लाभार्थियों से अंशदान नहीं लिया गया जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा देय अंशदान की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत किया जाए।

16 मदों को निर्धारित ईकाई में क्रय न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी0सी0एच0–एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16.7.2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत, बजरी पत्थर, सीमेंट लकड़ी आदि के क्रय के सन्दर्भ में निर्धारित इकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत, बजरी निर्धारित क्यूबिक फुट के अनुसार" परन्तु ग्राम पंचायत ने इन मदों का क्रय फेरे के रूप में किया गया न कि निर्धारित ईकाई के अनुसार जो कि दिशा निर्देशों की अवहेलना होने के अतिरिक्त किसी कार्य में प्रयोग की गई इन मदों की मात्रा को ज्ञात नहीं किया जा सकता हैं अतः इस बारे में नियमानुसार अवगत करें।

17 अंकेक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

(i) निम्नानुसार मनरेगा भुगतान वाउचर जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गये, जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएः–

वा0सं0	मास	राशि
118	3/2017	7140
121	3/2017	13940
124	3/2017	5100

(ii) कार्यवाही रजिस्टर जाँच हेतु उपलब्ध न करवानाः–

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर भी आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण पर जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) मास 8/2015 की रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिनके अभाव में मास 8/2015 में प्राप्त आय की जाँच नहीं की जा सकी। अतः रसीदें आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करनी सुनिश्चित की जाएं।

18 विवादित स्थल लेने के कारण अनुदान का उपयोग न करनाः–

ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एसएमएस–17/2002 दिनांक 22.9.2009 की मद संख्या (ज) के अनुसार, "किसी कार्य के स्थल अथवा विवाद के कारण कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से निर्माण कार्य को रोक दिया गया हो तो यदि कार्य पुनः 3 महीनों तक शुरू नहीं हो पाता है तो पूर्ण अभिलेख तैयार

करने के पश्चात कार्य से सम्बन्धित शेष बकाया धनराशि खण्ड विकास अधिकारी को लौटा दी जाएगी। भविष्य में विवाद समाप्त हो जाने के पश्चात पुनः प्रारम्भ करने हेतु पंचायत द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से वापिस लौटाई गई धनराशि की मांग की जाएगी। मांग पत्र के साथ विवाद के निपटारे से सम्बन्धित दस्तावेज भी लगाए जाएंगे तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात स्थिति अनुसार वापिसी बारे निर्णय लिया जाएगा।" निम्नानुसार स्थल विवादित होने के कारण IWMP अनुदान ₹600000 की राशि का पूर्ण व्यय अभी तक नहीं किया गया है। अतः शेष बची हुई राशि बारे उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

दिनांक (प्राप्ति)	**कार्य का नाम**	**राशि**
17.4.12	निर्माण सिंचाई कूहल गाँव किन्नू	360000
16.7.12	निर्माण वाटर टैंक विद सिंचाई चैनल	240000
	योग	**₹600000**

19 निर्माण कार्यों के मूल्यांकन (Assessment) के बिना ₹3.68 लाख का अनियमित भुगतानः—

प्रधान सचिव (ग्रा0 वि0 एवं पं0 रा0) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एसएमएस—17/2002—आर डीडी (जी आर एस) दिनांक 22.9.2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की मूल्यांकन (Aassessment) के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹368403 का भुगतान मूल्यांकन (Assessment) के बिना किया गया। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए मूल्यांकन (Assessment) के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

वा0सं0	**मास**	**कार्य का नाम**	**राशि**
सामान्य रोकड़ बही			
53	10/2015	L/R cattle shed to SOM Dutt House	13035
142	3/2017	निर्माण लिंक रोड रामचन्द के घर नजदीक सत्संग घर थानिकपुरा	49732
147	3/2017	निर्माण लिंक रोड रामचन्द के घर नजदीक सत्संग घर थानिकपुरा	49050

148	3/2017	निर्माण लिंक रोड रामचन्द के घर नजदीक सत्संग घर थानिकपुरा	18404
160	3/2017	निर्माण लिंक रोड रामचन्द के घर नजदीक सत्संग घर थानिकपुरा	27300
161	3/2017	निर्माण लिंक रोड रामचन्द के घर नजदीक सत्संग घर थानिकपुरा	4803
27	7/2017	अपवर्धन पंचायत घर	3150
28	7/2014	अपवर्धन पंचायत घर	12262
29	7/2014	अपवर्धन पंचायत घर	300
30	7/2014	अपवर्धन पंचायत घर	6530
34	7/2014	अपवर्धन पंचायत घर	9200
MMGY			
14	10/2015	निर्माण सामुदायिक भवन गांव सारडा वार्ड नं0 6	6250
20	3/2017	निर्माण सामुदायिक भवन गुरेट	38666
MGNREGA			
22	10/2015	निर्माण लिंक रोड तल्पिया बस्ती से थानिकपुरा	15876
26	10/2015	निर्माण रास्ता सारडा से श्मशान घाट तक	8525
27	10/2015	निर्माण रास्ता सारडा से श्मशान घाट तक	4065
28	10/2015	निर्माण रास्ता सारडा से श्मशान घाट तक	2710
IWMP			
6	3/2017	निर्माण चैक डैम सन्धा वाला चौक मवा वार्ड 7	45795
7	3/2017	निर्माण चैक डैम सन्धा वाला चौक मवा वार्ड 7	52750
		योग	**₹368403**

20 ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा Asset रजिस्टर का रख रखाव न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप 8 पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना हिमाचल प्रदेश परिसम्पत्ति रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है, जिसका शीघ्र रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए।

21 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95 (1)

अतः इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी—2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

24 **निष्कर्षः—** लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(5)33/2018—खण्ड—1—3977—3980 दिनाँक 01.06.2018 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत लोहारा अप्पर, विकास खण्ड अम्ब, तहसील ऊना, जिला ऊना, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, तहसील ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177—2620881